विधि विद्यापीठ

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र (सी.सी.पी)

सत्रीय कार्य : जनवरी, 2025 और जुलाई, 2025

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

स्त्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 अप्रैल, 2025

जुलाई के लिए 30 अक्टूबर 2025 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
2) **आयोजन :** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।
   यह सुनिश्चित कर लें कि :
   क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।
   ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।
   ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।
3) **प्रस्तुतिकरण :** एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ **कार्यक्रम संचालक (सी.सी.पी.)**

सी.पी.आइ 101: उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संरक्षण विधान

पाठ्यक्रम कोड : सी.पी.आई–101
सत्रीय कार्य कोड : सी.पी.आई–101/टीएमए/2025
कुल अंक : 100

सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। **(अंक)**

1. आर्थिक पर्यावरण के आयामो की चर्चा कीजिए। 10
2. भारत में उपभोक्ता आंदोलन के इतिहास एवं वृद्धि की सविस्तार चर्चा कीजिए। 10
3. उपभोक्ताओं के छः अधिकारों के कार्य क्षेत्र और महत्व पर सविस्तार से चर्चा कीजिए। 10
4. उपभोक्ता कौन है? निर्णीत केस विधियों की सहायता से चर्चा कीजिए। 10
5. विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की संक्षेप में चर्चा कीजिए। 10
6. उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत की चर्चा सविस्तार कीजिए। 10
7. उपभोक्ताओं पर विज्ञापन के प्रभावो की चर्चा, संबंधित मुकद्दमो की सहायता से विस्तार मे कीजिए। 10
8. उपभोक्ता सशक्तीकरण पर एक नोट लिखिए। 10
9. उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्रो को बेहतर बनाने हेतु कुछ सुझावो की सविस्तार चर्चा कीजिए। 10
10. संक्षिप्त नोट लिखिए।
    (क) भारत में उपभोक्ता जागरूकता का स्तर 5
    (ख) उपभोक्ता जिम्मेदारी 5